ISSN 0973-3914

# रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

**Peer- Reviewed Research Journal**

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

**2022**

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

# रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

**Peer-Reviewed Research Journal**
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37 हिन्दी संस्करण वर्ष-19 जुलाई - दिसम्बर 2022

**डॉ. अखिलेश शुक्ल**
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

**डॉ. संध्या शुक्ल**
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

**डॉ. गायत्री शुक्ल**
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

**डॉ. आर. एन. शर्मा**
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

**सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा**
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

## विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

## Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

**researchjournal97@gmail.com,**
**researchjournal.journal@gmail.com**

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

| -सदस्यता शुल्क - | | |
|---|---|---|
| अवधि | व्यक्तिगत सदस्यता | संस्थागत सदस्यता |
| वर्ष एक | 2000-00 | 2500-00 |
| वर्ष दो | 2500-00 | 4000-00 |

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

# सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अत: स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

# अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| 01 | वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र<br>**अरुण श्रीवास्तव** | 09 |
| 02 | भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान<br>**राजेश चन्द्र पालीवाल** | 15 |
| 03 | डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में<br>**सुधा गुप्ता** | 20 |
| 04 | महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)<br>**भूरी सिंह, अतुल कुमार** | 25 |
| 05 | भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व<br>**अशुतोष शुक्ल** | 30 |
| 06 | महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण<br>**सीमा श्रीवास्तव** | 39 |
| 07 | महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन)<br>**कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल** | 44 |
| 08 | महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था<br>**गजानन मिश्र** | 53 |
| 09 | घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान<br>**अलका रानी** | 60 |
| 10 | भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण<br>**बिन्ध्याचल साह** | 66 |
| 11 | नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियॉ<br>**सिद्धार्थ मिश्र** | 78 |
| 12 | वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव<br>**अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी** | 82 |
| 13 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना<br>**संगीता कुँभारे** | 92 |
| 14 | स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन<br>**कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा** | 101 |
| 15 | सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान<br>**गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता** | 108 |
| 16 | मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां<br>**सुनीता सोलंकी** | 115 |
| 17 | पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में)<br>**वंदना मिश्रा** | 121 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव<br>**बी. पी. सिंह, सविता पटेल** | 127 |
| 19 | समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में)<br>**दिव्या मिश्रा** | 133 |
| 20 | शिव ब्रात है?<br>**अशुतोष शुक्ल** | 137 |
| 21 | श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग<br>**प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी** | 143 |
| 22 | जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में)<br>**सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे** | 147 |
| 23 | पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं<br>**मंजरी अवस्थी** | 152 |
| 24 | भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व<br>**ममता** | 156 |
| 25 | भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन<br>**पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल** | 166 |
| 26 | लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)<br>**राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर** | 171 |
| 27 | महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में)<br>**विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल** | 179 |
| 28 | लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन<br>**राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर** | 188 |
| 29 | महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में)<br>**शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल** | 194 |
| 30 | बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां<br>**जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार** | 198 |
| 31 | भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में<br>**कुमुद श्रीवास्तव** | 203 |
| 32 | पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में)<br>**शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल** | 210 |
| 33 | अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में<br>**जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार** | 117 |
| 34 | सल्तनकालीन महोबा<br>**महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया** | 223 |

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

# महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण

• सीमा श्रीवास्तव

**सारांश- हम सभी जानते है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का महत्वूर्ण योगदान रहा है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में उनके लाखों अनुयायी रहे है। महात्मा गांधी की सोच समय से बहुत आगे थी। यद्यपि महिला विकास वर्तमान दशक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, किन्तु इस दिशा में महात्मा गांधी ने वर्षो पूर्व ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। समाज में महिलाओं के विकास को लेकर उनकी स्पष्ट धारणा थी कि शिक्षित व आत्मनिर्भर हुए बिना उनका विकास संभव नहीं है। साथ ही वे समाज के आदर्श विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानते थे। तत्कालीन भारत जो एक ओर आजादी के लिए संघर्षरत था तो दूसरी ओर समाज में अनेक कुरीतियों का बोलबाला था। इन सामाजिक कुरीतियों से महिलायें निरंतर शोषित व पीड़ित हो रही थीं। यद्यपि तत्कालीन समय में इन कुरीतियों का विरोध अनेक समाज सुधारकों द्वारा प्रारंभ किया जा चुका था किन्तु इस संदर्भ में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।**

**मुख्य शब्द -** आत्मबल, आत्मनिर्भरता, चेतना, शक्ति, समानता, आदर्श समाज।

प्रस्तुत शोध पत्र में तत्कालीन समय में महिलाओं के विकास के प्रति महात्मा गांधी के विचारों का विश्लेषण किया गया है।

**महात्मा गांधी की महिला विकास की परिकल्पना-** महात्मा गांधी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले, जहां असमानता के लिए कोई स्थान न हो। इसी संदर्भ में स्त्री पुरूष असमानता को लेकर उनका दृष्टिकोण था कि, "महिलाओं को कमजोर समझना निंदनीय है, यह पुरूषों का महिलाओं के साथ किया गया अन्याय है।" महात्मा गांधी के अनुसार प्रथाओं और परंपराओं से परिपूर्ण भारत में महिला विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है।

सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति

- शिक्षा
- आत्मनिर्भरता
- समानता
- महिला सशक्तिकरण
- राजनैतिक आंदोलन में सहभागिता

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ज.शं.त्रि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट

**सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति-** तत्कालीन समाज में महिलाओं को अनेक कुरीतियों का सामना निरंतर करना पड़ता था जैसे- बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध इत्यादि। यद्यपि विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा इन कुरीतियों से मुक्ति के लिए अनेक सार्थक प्रयास किये जा चुके थे और किये भी जा रहे है किन्तु इस दिशा में महात्मा गांधी द्वारा किये गये प्रयास भी बहुत महत्वूपर्ण हैं क्योंकि सामान्य जन उनका अनुगमन करता था, उनकी बातों को महत्व देता था। उनका मानना था कि, "महिलायें समाज में अस्तित्वहीन इसलिए हैं क्योंकि समाज पुरूष प्रधान है और समस्त रूढ़ियाँ व सामाजिक नियम केवल पुरूषों द्वारा बनाये गये है जो स्त्रियों के विरूद्ध हैं।" (डॉ. शर्मा, सतीश कुगार)तत्कालीन भारत में प्रचलित कुरीतियों के लिए उन्होंने प्राचीन धर्मग्रन्थों को जिम्मेदार माना है। उनके अनुसार ये धर्मग्रन्थ पुरूषों के द्वारा लिखे गये हैं और उन्होंने स्त्रियों को कठपुतली के रूप में प्रस्तुत किया है। यंग इण्डिया के एक लेख में महात्मा गांधी ने स्पष्ट लिखा है कि "स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो।"(यंग इण्डिया - 17.10.1929)

महात्मा गांधी के अनुसार परंपरा के नाम पर संकीर्ण मानसिकता उचित नहीं है। यही कारण है कि अपने विभिन्न लेखों व भाषणों में उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज इत्यादि का विरोध किया है तो दूसरी ओर उन्होंने महिला शिक्षा व विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन भी किया है। सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार इस प्रकार हैं-

- "दहेज प्रथा खरीदी बिक्री का कारोबार है। कोई भी युवक जो विवाह में दहेज की शर्त रखता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है।"
- "बाल विवाह के संदर्भ में महात्मा गांधी ने शारदा अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की अपेक्षा 16 या 18 वर्ष रखने का आग्रह किया था।"
- विधवा विाह के समर्थन में महात्मा गांधी का कथन था कि "यदि कोई स्त्री अपनी इच्छा से विधवा रहना चाहती है तो अलग बात है अन्यथा पुनः विवाह करने पर उसे जाति अथवा समाज से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए।"
- देवदासी प्रथा के सदंर्भ में महात्मा गांधी का कथन था कि देवदासी कहकर हम धर्म के नाम पर ईश्वर का अपमान करते हैं।
- अन्तर्जातीय विवाह के संबंध में उनका कथन था कि "व्यक्तिगत रूप से मैं जाति से बाहर विवाह की सहमति नहीं दूँगा लेकिन मैं भारत में जातियों के कृत्रिम विभाजन पर विश्वास भी नहीं करता हूँ।"

**बाल विवाह-** महात्मा गांधी ने बाल विवाह को विवाह मानने से ही इंकार कर दिया। उनके अनुसार "मुझे बाल विवाह से घोर घृणा है। बाल विधवाओं को देखकर मैं काँप उठता हूँ। यह सबसे निदंनीय है कि पत्नी की मृत्यु होते ही पुरूष दूसरा विवाह कर लेता है। लड़की के विधवा होने पर उसके मात-पिता को उसका पुनर्विवाह कर अपने पाप की प्रायश्चित करना चाहिए।"(राकेश कुमार झा- गाँधी चिंतन में सर्वोदय, पृ.-124)

**शिक्षा-** महिला शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन था कि "स्त्रियों को उपयुक्त

शिक्षा मिलना चाहिए। उनका कार्यक्षेत्र घर के अंदर है और पुरूषों का बाहर, अत: दोनों की शिक्षा में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। स्त्रियों को घरेलू मामलों के साथ-साथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षण के बारे में ज्ञान होना चाहिए।" स्त्री शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी का स्पष्ट कथन था कि "स्त्रियों को इस तरह की व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें स्वतंत्र तरीके से विचार करना सिखाये, उन्हें जात-पांत की जंजीरों से छुड़ाये और ऐसे हालात पैदा कर दे कि पुरूष उनकी शक्ति को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ायें।" उनके अनुसार शिक्षा से ही महिला विकास संभव है। एक शिक्षित महिला आत्मनिर्भर हो सकती है और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की वाहक भी बन सकती है। महात्मा गांधी के अनुसार बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की स्थिति, दहेज, तलाक आदि कुरीतियों का मुख्य कारण अशिक्षा है। इन्हें दूर करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है।

**आत्मनिर्भरता-** महात्मा गांधी भारतीय समाज की परिकल्पना रामराज्य के अनुसार करते थे जो कि न्याय व समानता पर आधारित हो। उनके अनुसार यह तभी संभव होगा जब महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा और यह उन्हें आत्मनिर्भरता व शिक्षा के द्वारा ही मिल सकता है।

यद्यपि महात्मा गांधी स्त्रियों का घर से बाहर जाकर आर्थिक कार्यों का समर्थन नहीं करते थे पर वे उनकी आत्मनिर्भरता के हिमायती थे। उनका कहना था कि खाली समय में स्त्रियों को चरखा चलाना चाहिए जो कि कमाई का श्रेष्ठ साधन है। दूसरे शब्दों में वे चरखे के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गरीब महिलाओं को चरखा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। इसे महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का उनका प्रयास कहा जा सकता है। (पुष्पा जोशी-गांधी ऑन वूमेन, पृष्ठ 30-31)

**समानता-** महात्मा गांधी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसकी नींव न्याय, समानता व शांति पर आधारित हो।(कृष्ण दत्त भट्ट- गांधी जीवन, सूत्र, पृ. 142) यही कारण है कि उनके विभिन्न अवसरों पर दिये गये भाषण व कथनों में स्त्री पुरूष समानता की बात सामने आती हैं। जैसे-" स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो। समानता आवश्यक है।" (यंग इण्डिया - 17. 10.1929)

- "सत्य और अहिंसा की नींव पर निर्मित नवीन विश्व व्यवस्था की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपने भविष्य की रचना का है। उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का हो।
- (रचनात्मक कार्यक्रम- नवजीवन प्रकाश पृ. 32-34)
- "हमारे समाज में सबसे अधिक हताश स्त्रियाँ ही हैं और इसी वजह से हमारा पतन भी हुआ है। स्त्री पुरूष में प्राकृतिक भिन्नता के अतिरिक्त मैं किसी भिन्नता को नहीं मानता।"(गांधी, हरिजन सेवक -21.01.1947)
- "मेरी अपनी राय तो यह है कि, जैसे मूलत: स्त्री और पुरूष एक हैं ठीक उसी प्रकार उनकी समस्या भी मूल में एक ही होना चाहिए। दोनों में एक ही आत्मा,

एक सी भावनायें हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।(हरिजन- 24.02.1940)

- महात्मा गांधी के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि वे एक ऐसे स्वस्थ समाज की कल्पना करते थे जो समानता पर आधारित हो।
- "जब तक महिलायें पुरूषों के बराबर खड़ी नहीं होगीं और अपना अधिकार नहीं जतायेगीं तब तक वे पहचान नहीं बना पायेंगी।"सेतिया सुभाष(2006), स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ. 106)

**महिला सशक्तीकरण-** महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से महिला सशक्तीकरण की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उनके अनुसार "महिला सशक्तीकरण केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने तथा अन्याय व उत्पीड़न के विरूद्ध संघर्ष के लिये अनिवार्य आवश्यकता है।" (सिंह, सविता (2002) गांधी और महिला सशक्तीकरण )

28 सितंबर, रोजगार समाचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, गांधीजी के अनुसार महिलाओं को कमजोर समझना निंदनीय है यह उनके साथ अन्याय है जबकि नैतिक शक्ति में वे पुरूषों से आगे है। महिलाओं को समाज में सम्मान तभी मिलेगा जब वे अपनी शक्ति और आत्मबल को पहचानेंगी।

महिला सशक्तीकरण के पक्षधर महात्मा गांधी ने महिलाओं से जुड़ी हर कुरीति का विरोध किया। वे चाहते थे कि पुरूष स्त्रियों को अपना सहयोगी समझे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये उन्होंने बाल विवाह, दहेज, पर्दा प्रथा का विरोध किया तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, आत्मनिर्भरता, विधवा विवाह का समर्थन का भी किया है। इसके अतिरिक्त आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी उनकी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशों को दर्शाती है।

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट ने अपनी पुस्तक "गांधीजी ऑन वूमेन" में लिखा है कि गांधीजी महिला संगठनों की बैठकों, आश्रमों की सभाओं, उत्सवों तथा अन्य अवसरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। महिलाओं ने उनके नेतृत्व में चले जनआंदोलन में सहजता से भाग लिया जिससे भारतीय महिलाओं को एक नई दिशा मिली।" (आर्य, साधना (2006) नारीवादी राजनीति-संघर्ष व मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय पृ. -168)

**राजनैतिक आंदोलन में सहभागिता-** भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरूद्ध महात्मा गांधी का संघर्ष पूरी तरह सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित था। उनके अनुसार अहिंसात्मक सत्याग्रह में स्त्रियों की भूमिका मुख्य है। इसके संदर्भ में उनका कथन था कि, "इस आंदोलन का सौंदर्य इसके पूरी तरह स्त्रियों द्वारा प्रारंभ करने और नियंत्रित करने में रहेगा।" (श्री रामनाथ सुमन)

महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर भारत की हजारों लाखों महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया। नमक कानून तोड़ने, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और शराब की दुकानों का विरोध करने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। इन महिलाओं ने धैर्य, और साहस के साथ सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गईं। महात्मा गांधी ने भारतीय स्त्रियों

में सत्य, अहिंसा, धैर्य का विशेष गुण देखा था और इसलिए वे स्त्रियों को राजनीति में शामिल कर स्वाधीनता आंदोलन को सफल बनाना चाहते थे।महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिये अपने भाषणों के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया। भारत की महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने महिलाओं की परंपरागत भूमिका को चुनौती दिये बिना भारत के राजनैतिक आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। (मनोज सिन्हा, पृ.–125 गांधी अध्ययन)

सार रूप में कहा जाता सकता है कि महात्मा गांधी ने स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों की वकालत दो बिन्दुओं पर की थी–

1. स्त्रियाँ पुरूषों से किसी तरह भी कम नहीं हैं बल्कि कई मामलों में उनसे श्रेष्ठ हैं।
2. स्त्रियों के राजनीति में आने से महिला सशक्तीकरण को गति मिलेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने एक ओर तो स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया है तो दूसरी ओर उनके सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। बारबर साउथर्ड के अनुसार – महात्मा गांधी की नारीवादी सोच में दो तत्व हैं–

1. हर स्तर पर तथा हर मायने में स्त्री पुरूष समानता।
2. दोनों में विशिष्ट लैंगिंक भिन्नता के अनुसार सामाजिक दायित्व में भिन्नता।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची-


1. आर्य, साधना (2006) नारीवादी राजनीति–संघर्ष व मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय पृ. 168
2. गांधी, मोहनदास करमचंद– सत्य के प्रयोग, साक्षी प्रकाशन, दिल्ली
3. डॉ. शर्मा, सतीश कुमार– नारी पुनरूत्थान में गांधी जी के विचारों का योगदान, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन आगरा(नवंबर, 1997) पृ. 684
4. जौली, सुरजीत कौर (2007) गांधी एक अध्ययन, कॉन्सैप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृ. 287
5. सेतिया सुभाष(2006), स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ. 106
6. सिंह, सविता (2002) गांधी और महिला सशक्तीकरण
7. Gandhi, M.K. "Women and Social Injustice (Ahemedabad: Navajivan Publishing House, 1958.
8. www.mkgandhi.org/articles/krishnanandela.htm